न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, देहरादून

प्रकीर्ण वाद संख्या– 939/2026

वादिनी – – – – – – अनिल तिवारी

मु0अ0सं0– 62/2022
धारा– 420,406,506 भारतीय दण्ड संहिता
थाना– बसन्त विहार, देहरादून

वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता– श्री विभोर गोयल

दिनांक– 13.08.2026

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुई। पूर्व नियत तिथि पर वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता को थाना बसन्त विहार, देहरादून में पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0– 62/2022 में पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट पर सुना गया। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

2. वादी मुकदमा की ओर से आपत्ति दिनांकित 20.07.2026 प्रस्तुत कर कथन किये गये हैं कि दिनांक 28–02–2022 को वादी द्वारा थाना बसन्त विहार, देहरादून में मु0अ0सं0 62/2022, अन्तर्गत धारा–406, 420, 506, आई०पी०सी० अभियक्तगणों मुख्य अधिशासी अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक मन्नापुरम फाईनेन्स लि०, अन्य निदेशकगण– मन्नापुरम फाईनेन्स लि0, श्री कुलविन्दर सिंह तत्कालीन शाखा प्रबन्धक मन्नापुरम फाईनेन्स लि0, निशा नेगी तत्कालीन सहायक शाखा प्रबन्धक मन्नापुरम फाईनेन्स लि0, रमनजुला रेड्डी क्षेत्रीय प्रबन्धक मन्नापुरम फाईनेन्स लि0, मनीकन्दम क्षेत्रीय हैड आडिट मन्नापुरम फाईनेन्स लि0, समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण मन्नापुरम फाईनेन्स लि0 शाखा इन्दिरा नगर चकराता रोड, आढ़त बाजार, देहरादून के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई थी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने के बाद थाना बसन्त विहार, देहरादून की पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण की सही प्रकार से विवेचना न करके अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय में गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर दी। जबकि प्रार्थी की माता का देहान्त दिनांक 14–4–2019 को हो चुका था, जिसके बाद भी मन्नापुरम फाईनेन्स लि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अप्रैल–2019 से सितम्बर–2019 तक विभिन्न तिथियों में प्रार्थी की माता द्वारा मन्नापुरम फाईनेन्स लि० की शाखा कार्यालयों बसन्त विहार एवं आढ़त बाजार, देहरादून में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर गिरवी/बन्धक रखा गया सोना प्राप्त करना दर्शाया गया है, जिसमें कुछ जगहों पर प्रार्थी की माता की फोटो के स्थान पर किसी अन्य महिला की फोटो चस्पा की गई है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की माता के हस्ताक्षर के स्थान पर किसी अन्य के द्वारा हस्ताक्षर किया

जाना दर्शाया गया है। प्रार्थी की माता एक कम पढ़ी–लिखी अनपढ़ महिला थी, इस पर भी मन्नापुरम फाईनेन्स लि० के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करके प्रार्थी की माता के हस्ताक्षर अंग्रेजी में किया जाना दर्शाया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी माता के द्वारा बन्धक रखे गये सोने का समस्त भुगतान प्रार्थी की माता की मृत्यु के बाद ऑनलाईन के माध्यम से जुलाई 2019 से लेकर मई 2020 तक 1,69,79,324/– रूपये कर दिया गया था, परन्तु मन्नापुरम फाईनेन्स लि० द्वारा प्रार्थी की माता की व्यक्तिगत उपस्थिति जुलाई 2019 तथा उससे आगे की तिथियों में दिखाकर बन्धक रखा गया सोना प्रार्थी की माता द्वारा प्राप्त करना दर्शाया गया है तथा प्रार्थी की माता की फोटो के स्थान पर किसी अन्य महिला की फोटो तथा प्रार्थी की माता के हस्ताक्षर के स्थान पर किसी अन्य के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर एवं अंगूठे की निशानी लगाकर प्रार्थी की माता को सोना देना दर्शाया गया है। किसी भी ऋण का भुगतान करने के बाद ही बन्धक सोना/सम्पत्ति मुक्त की जाती है, परन्तु उपरोक्त प्रकरण में मन्नापुरम फाईनेन्स लि0 ने प्रार्थी की मृतक माता को बन्धक रखा गया सोना वर्ष 2019 में ही उनके फर्जी फोटो एवं हस्ताक्षर करके प्राप्त करना दर्शाया गया है। प्रार्थी की माता अपने पूरे जीवनकाल में कभी भी मन्नापुरम फाईनेन्स लि0 की आढत बाजार, देहरादून की शाखा में कभी नहीं गयी क्योंकि मन्नापुरम फाईनेन्स लि0 की आढत बाजार शाखा प्रार्थी की माता की मृत्यु के बाद ही खुली थी, जिसके बाद भी मन्नापुरम फाईनेन्स लि0 की आढत बाजार शाखा द्वारा प्रार्थी की माता को उनकी मृत्यु के उपरान्त उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति दिखाकर लगभग 23,00,000/– रू0 का गोल्ड लोन/ ऋण देना दर्शाया गया है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त सभी तथ्य तथा दस्तावेज विवेचक को विवेचना के दौरान उपलब्ध करवा दिये गये थे, परन्तु विवेचक ने उक्त सभी तथ्यों एवं दस्तावेजों को अपनी विवेचना में सम्मिलित नहीं किया तथा अधूरी एवं त्रुटिपूर्ण व प्रभावपूर्ण विवेचना करके असत्य/गलत अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी है, जिससे कि प्रार्थी अत्यधिक आहत एवं आश्चर्यचकित हुआ एवं प्रार्थी को गंभीर मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा है। इससे पूर्व भी विवेचक द्वारा वर्ष 2022 में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने के बाद वर्ष 2026 में अधूरी विवेचना कर माननीय न्यायालय में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, जबकि इससे पूर्व प्रार्थी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय देहरादून, पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड पुलिस देहरादून, राज्य पुलिस

शिकायत प्राधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून तथा माननीय न्यायालय के समक्ष अनेकों बार उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रगति कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये थे। थाना वसन्त विहार पुलिस द्वारा उक्त मामलें में न्यायालय में प्रस्तुत की गई अन्तिम रिपोर्ट से वादी पूर्णतः असन्तुष्ट है। प्रार्थी/वादी मुकदमा अनिल तिवारी की ओर से पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर पुनः किसी अनुभवी विवेचक से जांच कराने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी।

3. सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज मय केस डायरी का अवलोकन किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि संबंधित विवेचक द्वारा मु0अ0सं0 62/2022 में अंतिम रिपोर्ट इस आख्या के साथ लगायी गयी है कि ''विवेचना से पाया गया कि वादी द्वारा अपना बन्धक रखा गया सोना सम्पूर्ण लोन अदायगी के उपरान्त प्राप्त कर लिया गया था, धोखाधड़ी आदि का कोई लाभार्थी नहीं पाया गया। वादी को मजीद बयान हेतु बुलाने पर वादी द्वारा फोन द्वारा की गई वार्ता में बताया गया कि उसका कम्पनी के कर्मचारियों के साथ समझौता हो गया है वह अब मुकदमें में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है और समझौतानामा उचित माध्यम से पहुंचा देगा, किन्तु वादी द्वारा न ही कोई लिखित समझौता प्रस्तुत किया गया और न ही बयान देने हेतु स्वंय ही उपस्थित हुआ। अब तक की तमामी विवेचना, बयान गवाहान व उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः अभियोग की विवेचना को अनावश्यक रूप से लम्बित न रखते हुये विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट समाप्त की जाती है। माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि, अन्तिम रिपोर्ट स्वीकृत करने की कृपा करें।''

5. चूंकि विवेचक द्वारा इस आधार पर अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है कि वादी द्वारा अपना बन्धक रखा गया सोना सम्पूर्ण लोन अदायगी के उपरान्त प्राप्त कर लिया गया था, धोखाधड़ी आदि कर कोई लाभार्थी नहीं पाया गया। वादी द्वारा फोन द्वारा की गई वार्ता में बताया गया कि उसका कम्पनी के कर्मचारियों के साथ समझौता हो गया है वह अब मुकदमें में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। जबकि वादी मुकदमा की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किये गये हैं कि वादी मुकदमा का कंपनी के कर्मचारियों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, ना ही उसकी माता के नाम पर रखा सोना वादी द्वारा प्राप्त किया गया है। इस संबंध में पत्रावली पर संलग्न प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट दर्शित है कि वादी मुकदमा की माताजी मुन्नी देवी की दिनांक 14.04.2019 को मृत्यु हो गयी थी तथा इसके

उपरान्त वादी मुकदमा द्वारा अपनी स्वर्गीय माताजी द्वारा लिये गये लोन की अदायगी की गयी है, किन्तु मन्नापुरम फाईनेंस कंपनी द्वारा वादी की माताजी की मृत्यु दिनांक के उपरान्त भिन्न–भिन्न तिथियों पर कंपनी में गिरवी रखा सोना वादी मुकदमा की मृत माताजी स्व0 श्रीमती मुन्नी देवी को प्राप्त कराना दर्शाया गया है। अतः यह विस्तृत जांच का विषय था कि वादी मुकदमा की माताजी की मृत्यु के उपरान्त उनके द्वारा ऋण के एवज में गिरवी रखा सोना उनके नाम से किसके द्वारा प्राप्त किया गया, किन्तु विवेचक द्वारा मात्र इस आधार पर अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी गयी कि वादी द्वारा अपना बन्धक रखा गया सोना सम्पूर्ण लोन अदायगी के उपरान्त प्राप्त कर लिया गया था, धोखाधड़ी आदि का कोई लाभार्थी नहीं पाया गया तथा वादी द्वारा फोन द्वारा की गई वार्ता में बताया गया कि उसका कम्पनी के कर्मचारियों के साथ समझौता हो गया है वह अब मुकदमें में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। जबकि वादी मुकदमा द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर कोई समझौता न होने के कथन किये गये हैं एवं पुलिस द्वारा भी ऐसा कोई लिखित समझौता पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे में इन आधारों पर विवेचक द्वारा मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है। अतः प्रार्थी की ओर से मु0अ0सं0 62/2022 में प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य है तथा मामले में उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत अग्रिम विवेचना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

विवेचक की ओर से मु0अ0सं0 62/2022 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट अस्वीकार की जाती है तथा प्रार्थी ओर से प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत थाना प्रभारी, बसन्त विहार, देहरादून को आदेशित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 62/2022 में उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अग्रिम विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करे। अपेक्षित दस्तावेज विवेचक को नियमानुसार प्राप्त कराया जाये।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित हो। पत्रावली न्यायालय के आदेश के बिना विनिष्ट न की जाए।

(भावना पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
देहरादून।